प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 24 / 2023
अनवान : –

1. कुलछत्र पुत्र भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।

–**वादी**

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. शान्ति देवी पत्नी भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. मीरा देवी पुत्री भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. गायत्री पुत्री भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–188 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति : 1. श्री मदन मोहन जोशी **वादी**
2. श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता **प्रतिवादी**
3. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/5/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 58 / 58 की कुल 4. 0480है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 का 3 / 13 हिस्सा तथा वादी के पिता भानीराम का 10 / 13 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 13 / 11 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1 / 2 वादी के नाम तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता 83 / 84 की कुल 3.0360है0 भूमि, रोही 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 57 / 55 की कुल 0.7590हैक भूमि तथा रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–2073 के खाता स0 58 / 56 की कुल 0.506है0 भूमि भानीराम पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद भूमि है जो भानीराम पुत्र मनीराम की नौतोड़ कर्ता भूमि है। भानीराम पुत्र मनीराम वादी एवं प्रतिवादी स0 1, 3 ता 4 का पिता एवं प्रतिवादीया स0 2 का पति है। वाद भूमि भानीराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण का वाद भूमि में पैतृकी हक हिस्सा है। वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण एक दुसरे के कोपार्सनर है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:42 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक राजीनामा के वाद भूमि में प्रतिवादी स0 2 ता 4 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में कर दिया है तथा प्रतिवादी स0 3 ता 4 का वाद भूमि में अब कोई हक

हिस्सा शेष नही रहा है। बाद हक त्याग मुताबिक बंटवारा रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/58 की कुल 4.0480है0 भूमि प्रतिवादी स0 1 के पास रहेगी, रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/11 की 0.506है0 भूमि जो वादी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है का प्रतिवादीया स0 2 खातेदार रहेगी, रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 83/84 की कुल 3.0360है0 भूमि एवं रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 57/55 की कुल 0.7590है0 भूमि तथा खाता स0 58/56 की कुल 0.506है0 भूमि जो की भानीराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज है का वादी अकेला खातेदार काश्तकार रहेगा। वादी इसी प्रकार न्यायालय से घोषणा करवाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 4 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजाा 18 एनटीआर खाता स0 58/58 ईएक्सपी–1, जमाबंदी रोही मौजा 19 एनटीआर खाता स0 83/84 ईएक्सपी–2, जमाबंदी रोही मौजा 18 एनटीआर खाता स0 13/11 ईएक्सपी–3, जमाबंदी रोही मौजा 20 एनटीआर खाता स0 57/55 ईएक्सपी–4, शपथ पत्र बाबत वारिसानाम, फोटोप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बहक भानीराम पुत्र मनीराम आदि पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य वादी में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की कि उक्त वाद भूमि वादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जो की वादी एवं प्रतिवादी स0 1 व 3 ता 4 के पिता एवं प्रतिवादी स0 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वाद भूमि बाबत पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है जिसके मुताबिक वाद भूमि में प्रतिवादी स0 3 ता 4 का जो हक व हिस्सा था वो वादी एवं प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हक हिस्सा को अपने नाम दर्ज करवपाने के कानूनी अधिकारी है। वादी के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 4 द्वारा स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:42 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 58/58 की कुल 4.0480है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 का 3/13 हिस्सा तथा वादी के पिता भानीराम का 10/13 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता स0 13/11 की कुल 0.5060है0 भूमि में से 1/2 वादी के नाम तथा रोही मौजा चक 19 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता 83/84 की कुल 3.0360है0 भूमि, रोही 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 57/55 की कुल 0.7590हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070—2073 के खाता स0 58/56 की कुल 0.506है0 भूमि भानीराम पुत्र मनीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से संयुक्त हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ व पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा मृतक भानीराम पुत्र मनीराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073—2076 के खाता स0 58/58 की कुल 4.0480है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 1 का 3/13 हिस्सा तथा वादी के पिता भानीराम का 10/13 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मृतक भानीराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर 4.0480है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13/11 की कुल 0.506है0 भूमि में वादी के नाम 1/2 हिस्सा भूमि दर्ज है, में वादी के स्थान पर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 83/84 की कुल 3.0360है0 भूमि, रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 57/55 की कुल 0.7590है0 भूमि तथा रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58/56 की कुल 0.506है0 भूमि जो की भानीराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज है, में मृतक भानीराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष — 2023 मे मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:42 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष—2023
कैम्प कोर्ट—परलीका

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 24 / 2023
अनवान : –

1. कुलछत्र पुत्र भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. अशोक कुमार पुत्र भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. शान्ति देवी पत्नी भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. मीरा देवी पुत्री भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. गायत्री पुत्री भानीराम जाति खाती निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 24 सन 2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 18 एनटीआर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 58 / 58 की कुल 4.0480है0 भूमि में से प्रतिवादी स0 1 का 3 / 13 हिस्सा तथा वादी के पिता भानीराम का 10 / 13 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में मृतक भानीराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर 4.0480है0 भूमि का प्रतिवादी स0 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 18 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 13 / 11 की कुल 0.506है0 भूमि में वादी के नाम 1 / 2 हिस्सा भूमि दर्ज है, में वादी के स्थान पर प्रतिवादी स0 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा 19 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 83 / 84 की कुल 3.0360है0 भूमि, रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 57 / 55 की कुल 0.7590है0 भूमि तथा रोही मौजा 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता स0 58 / 56 की कुल 0.506है0 भूमि जो की भानीराम पुत्र मनीराम के नाम दर्ज है, में मृतक भानीराम पुत्र मनीराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनाक 24/5/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:25:42 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–परलीका